पत्रांक–15 / अभि०–(SWD)–17–33 / 2025 / न०वि०एवंआ०वि०

*ई–मेल स्पीड पोस्ट / निबंधित डाक

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।
***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक–

विषयः– मॉनसून, 2025 की तैयारी हेतु पटना शहर एवं आस–पास के क्षेत्रों (ग्रुप–4) से त्वरित जल निकासी हेतु विभिन्न स्थायी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों के सचांलन एवं संधारण हेतु कुल 01 वर्ष के लिए प्रशासनिक स्वीकृति राशि कुल ₹497.26057 लाख (चार करोड़ सन्तानवे लाख छब्बीस हजार सन्तावन रूपये) मात्र की योजना के लिए देनदारी राशि में से तत्काल ₹122.84001 लाख (एक करोड़ बाइस लाख चौरासी हजार एक रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2026–27 में राशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में मॉनसून, 2025 की तैयारी हेतु पटना शहर एवं आस–पास के क्षेत्रों (ग्रुप–4) से त्वरित जल निकासी हेतु विभिन्न स्थायी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों के सचांलन एवं संधारण हेतु कुल 01 वर्ष के लिए राशि कुल ₹497.26057 लाख (चार करोड़ सन्तानवे लाख छब्बीस हजार सन्तावन रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति राज्यादेश संख्या–20, दिनांक–16.04.2025 द्वारा की गई थी।

2. प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना के पत्रांक–1545, दिनांक–04.06.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में मॉनसून हेतु बुडको द्वारा संचालित विभिन्न स्थायी पम्पिंग स्टेशनों को संचालन एवं संधारण कार्य हेतु योजना की अवशेष राशि आंवटित करने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त अनुरोध के आलोक में पटना शहर एवं आस–पास के क्षेत्रों (ग्रुप–4) से त्वरित जल निकासी हेतु विभिन्न स्थायी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों के संचालन एवं संधारण हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ–02 में अंकित योजना को कुल ₹497.26057 लाख (चार करोड़ सन्तानवे लाख छब्बीस हजार सन्तावन रूपये) मात्र लागत पर प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में एकरारनामा की राशि के विरूद्ध योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में तत्काल स्तम्भ–06 के अनुरूप ₹122.84001 लाख (एक करोड़ बाइस लाख चौरासी हजार एक रू०) मात्र के सहायक अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :–

(रूपये लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	एकरारनामा की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल स्वीकृति राशि	अवशेष राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7* (4–5–6)
1	Estimate for complete repairing, overhauling servicing, operation & maintenance of Rajapur Old, Rajapur New, Mandiri New, Mandiri Old & Punaichak Drainage Pumping Station under Works Divison, BUIDCo, Patna for monsoon 2025. **(Group-4)**	497.26057	482.84001	360.00	122.84001	0
Total		**497.26057**	**482.84001**	**360.00**	**122.84001**	**0**

अर्थात कुल स्वीकृत ₹122.84001 लाख (एक करोड़ बाइस लाख चौरासी हजार एक रू०) मात्र।

4. **स्वीकृत कुल ₹122.84001 लाख (एक करोड़ बाइस लाख चौरासी हजार एक रू०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होगें,** जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांक–236, दिनांक–09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि बुडको, के PL खाता सं०–PTSPLA006, HoA संख्या–00-8448-00-120-0014-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

5. स्वीकृत कुल ₹122.84001 लाख (एक करोड़ बाइस लाख चौरासी हजार एक रू०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 बजट शीर्ष–2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष–05–अन्य शहरी विकास योजनाएं, लघुशीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष–0008–एकीकृत शहरी अभियंत्रण संगठन, विपत्र कोड–**48-2217050010008**, विषय शीर्ष–0008.31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद से की जाएगी।

6. बिहार कोषागार संहिता के नियम–286 के आलोक में यथा बी0टी0सी0 फार्म संख्या–46 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–1496, दिनांक–22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक–63, दिनांक–11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण–पत्र BTC- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत कार्य पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

7. वित्त विभाग के संकल्प सं०–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम 04–15/2009– 9736, दिनांक–19. 10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता

प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।

8. विभागीय पत्रांक–06, दिनांक–07.01.2026 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में बुडको द्वारा योजना में प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन भौतिक प्रगति के Milestone के अनुसार राशि का भुगतान योजना में कार्यरत एजेंसी को की जाएगी एवं भुगतान किये जाने वाले एजेंसी (संस्था) के बैंक खाता में भी कोई बदलाव नही किया जायेगा। यदि योजना में किसी प्रवर्तन निदेशालय तथा अन्य जाँच एजेंसी द्वारा जाँच किया जा रहा है तो प्रत्येक भुगतान की सूचना अनिवार्य रूप से संबंधित जाँच एजेंसी को उपलब्ध काराई जाएगी।

9. स्वीकृत राशि O & M के शर्त्त को ध्यान में रखते हुए वास्तविक व्यय के विरूद्ध की जायेगी तथा संबंधित को भुगतान वित्तीय नियमावली एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एव संविदा शर्त्तों के अनुरूप सप्रमाण किया जाएगा।

10. स्वीकृत राशि का व्यय केवल संबंधित योजना के क्रियान्वयन में ही किया जायेगा। योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन के पूर्व बुडको के संबंधित अभियंता संबंधित नगर निकाय से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित हो लेंगे कि योजना की डुप्लिकेसी ना हो।

11. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि(2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

12. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति इस संचिका के Note#17 पृष्ठ सं०–28/टि० पर दिनांक–07.07.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन Note#22 पृष्ठ सं०–31/टि० पर दिनांक–14.07.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–15/अभि०–(SWD)–17–33/2025 106 /न०वि०एवंआ०वि० पटना, दिनांक–22.7.26

प्रतिलिपि:–प्रमंडलीय आयुक्त, संबंधित प्रमंडल/प्रबंध निदेशक, बुडको/जिला पदाधिकारी पटना/नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित कोषागार के कोषागार पदाधिकारी/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।